आईटी एक्ट की जानकारी होना हरेक के लिए ज़रूरी

ब्लैक रिबन इनिशिएटिव के अभियान सहयोग की 162वीं कार्यशाला बुधवार को हुई

WORKSHOP

सिटी रिपोर्टर • चाहे कॉर्पोरेट/निजी क्षेत्र के कार्यालय हो, मीडिया का हो, बैंकिंग, शेअर ट्रेडिंग, रेलवे या वायुयान सेवा आदि का क्षेत्र हो सभी जगह आधुनिक टेक्नालॉजी का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से सभी कार्यों को किया जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी एंड्रायड मोबाइल पर वाट्स अप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर पूरी दुनिया से संपर्क में रहते है। ऐसी स्थिति में छोटी सी गलती से भी व्यक्तिगत अथवा संस्थागत नुकसान हो सकता है। इन सबसे बचने का मूल मंत्र है- जागरूकता। इसलिए आईटी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी होना हरेक के लिए जरूरी है। यह बात नारकोटिक्स विंग के एडीजी वरुण कपूर ने ब्लैक रिबन इनिशिएटिव के तहत चलाए जा रहे अभियान सहयोग की 162 वीं कार्यशाला में बुधवार को कही।

ताकि गलती करने से बच सकें

लायंस क्लब ऑफ इंदौर की इस कार्यशाला में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कार्य करने वाले सभी कर्मियों को आधुनिक संचार उपकरणों का उपयोग दैनिक कार्यों में सतत रूप से करना होता है। ऐसे में सभी नागरिकों को इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तो ही वे गलती नहीं करने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम असली एवं काल्पनिक दुनिया में समानांतर रूप से कार्य कर रहे है, अतः इस हेतु बनाए गए सुरक्षा मानकों को उसके अनुरूप अपनाना चाहिए व संभावित नुकसान से बचना चाहिए। इस मौके पर बचाव के तरीके एवं तकनीक भी बताई गई।